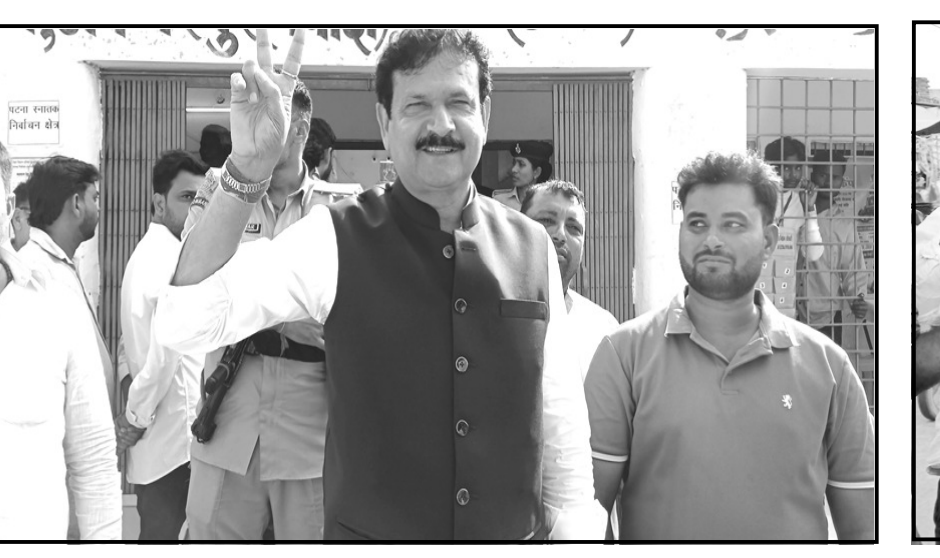
खूब पड़े वोट, डीएम-एसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण







नवादा। बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, नवादा रवि प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक, नवादा अभिनव धीमान द्वारा संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने पकरीबरावां प्रखंड के मतदान केन्द्र संख्या-112 एवं 72, वारिसलीगंज प्रखंड के मतदान केन्द्र संख्या-110, 109 एवं 70, नारदीगंज प्रखंड के मतदान केन्द्र संख्या-104 एवं 67, हिसुआ प्रखंड के मतदान केन्द्र संख्या-68 एवं 105, अनुमंडल कार्यालय, नवादा सदर स्थित मतदान केन्द्र संख्या-106 एवं 107, जिला परिषद स्थित मतदान केन्द्र संख्या-108 एवं अन्य मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया, विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा मतदान के सुचारू संचालन हेतु की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों एवं मतदान कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं सतर्कता के साथ मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर गोपनीय शाखा प्रभारी, श्री राजीव कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

कौआकोल (नवादा) (संसू) के अनुसार बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शुक्रवार को कौआकोल प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित दोनों मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कौआकोल प्रखंड में कुल 876 स्नातक मतदाताओं में से 611 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुल 77 मतदाताओं में से 71 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रक्रिया शुक्रवार की सुबह आठ बजे से शुरू हुई। स्नातक मतदाताओं के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर के पूर्वी भाग में मतदान केंद्र बनाया गया था, जबकि शिक्षक मतदाताओं ने पश्चिमी भाग में स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड के वरीय पदाधिकारी विनय कुमार, पकरीबरावां एसडीपीओ सुजय भारती, पकरीबरावां सर्किल इंस्पेक्टर प्रशान्त कुमार, थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह तथा एसआई रिंकू कुमार, सहित अन्य दंडाधिकारी और पुलिस बल के जवान मुस्तैद रहे। अधिकारियों की निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

वारिसलीगंज (नवादा) (आससे) के अनुसार बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के तहत वारिसलीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। प्रखंड कार्यालय परिसर में स्नातक निर्वाचन के लिए दो बूथ बनाए गए थे। बूथ संख्या 109 तथा 110 जिस पर कुल 2065 मतदाता पंजीकृत थे। इसमें कुल 1284 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो लगभग 62 प्रतिशत से अधिक है। बूथ संख्या 109 पर कुल 753 मतदाताओं ने मतदान किया। जिसमें 595 पुरुष तथा 158 महिलाओं ने वोट डाले। वहीं बूथ संख्या 110 पर कुल 531 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 428 पुरुष एवं 103 महिलाएं शामिल रहीं।

दूसरी ओर शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन में भी मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षक निर्वाचन में कुल 265 मतदाता पंजीकृत थे। जिसमें 204 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार शिक्षक निर्वाचन में लगभग 77 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान करने वालों में 169 पुरुष तथा 35 महिला मतदाता शामिल थीं।

मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चला। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रखंड परिसर में पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था देखी गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक अविनव धीमान समेत अन्य अधिकारियों ने वारिसलीगंज स्थित तीनो मतदान केंद्रों पर जारी मतदान के दौरान काफी देर तक निरीक्षण किया तथा मतदानकेंटो पर नियुक्त पदाधिकारी समेत वोटिंग जुटे अन्य अधिकारी को कई सुझाव दिया। बाद में भूमि उप समाहर्ता ने मतदान के अंतिम समय तक रहकर मतदान पेटी को सील करवाया। बता दें कि सुबह 8ः00 बजे से शुरू हुई मतदान 10ः00 बजे तक मतदान की रफ्तार धीमी रही। लेकिन लगभग 11ः00 बजे के बाद दोनों मतदान केदो पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई।

नारदीगंज (नवादा) (ससू) के अनुसार सूबिहार विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के तहत शुक्रवार को नारदीगंज प्रखंड में %001-पटना स्नातक% एवं %शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र% के लिए मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था का जायजा लेने स्वयं डीएम रवि प्रकाश मतदान केंद्र पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रखंड कार्यालय (दक्षिण भाग) मतदान केंद्र संख्या 104 (स्नातक क्षेत्र) पर कुल 793 मतदाताओं में से 537 (427 पुरुष, 110 महिला) ने वोट डाले। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी फैजान अहमद की देखरेख में यह प्रक्रिया पूरी हुई। वहीं, प्रखंड कार्यालय (उत्तरी भाग) केंद्र संख्या 67 (शिक्षक क्षेत्र) पर निर्वाची पदाधिकारी राधा रमण मुरारी की निगरानी में कुल 89 में से 76 मतदाताओं (60 पुरुष, 16 महिला) ने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चले मतदान में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। एसआई अभिषेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहा।

सिरदला (नवादा) (संसू) के अनुसार प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव का मतदान शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था की गई थी। पूरे दिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सिरदला में कुल 658 मतदाताओं ने वोट डाला। इनमें 544 पुरुष और 114 महिला मतदाता शामिल रहीं। मतदान का कुल प्रतिशत 56 रहा। शाम पांच बजे तक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की कतार लगी रही।निर्वाचन को लेकर नवादा जिले में कुल 17 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15,829 मतदाता, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1,749 मतदाता पंजीकृत थे। मतदान के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए थे। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली।

अकबरपुर (नवादा) (संसू) के अनुसार बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर शुक्रवार को अकबरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। हालांकि, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की गति धीमी रहने के कारण शाम चार बजे मतदान का निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद करीब 250 मतदाता कतार में खड़े दिखाई दिए। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के कुल 1124 मतदाताओं में से शाम चार बजे तक 526 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार निर्धारित समय तक करीब 46.80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के कुल 133 मतदाताओं में से 125 ने मतदान किया, जो करीब 93.98 प्रतिशत है। मतदान को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एडीएम मनोज कुमार, डीटीओ रंजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अकबरपुर के अंचल अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने मजिस्ट्रेट के रूप में व्यवस्था संभाली। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अखिलेश कुमार तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मुकेश कुमार पीठासीन पदाधिकारी के रूप में तैनात रहे।

विधायक अनिल सिंह ने किया मतदान

हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक अनिल सिंह ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

26 को डीएम से हिसाब मांगने पहुंचेंगे अन्नदाता

नवादा। गोवर्धन स्वीट्स में प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता अशोक प्रसाद सिंह, दिनेश कुमार, कपिल देव प्रसाद, एवं पवन कुमार ने कहा कि कानून का रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, तो किसानों के पास संघर्ष के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं।कॉर्पोरेट्स की दलाली में किसानों से जमीन छीनने के लिए आतुर डीएम नवादा ने जो पुलिसिया तांडव से मोतनाजे मधुबन के अन्नदाताओं के बीच भय और आतंक का माहौल पैदा किया है। उसे किसी भी कीमत पर किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में अधिग्रहण से पहले भूमि का सोशल ऑडिट होगा, फिर 70 प्रतिशत किसानों की सहमति पर ही, बाजार दर से चार गुना भुधारियों को मुआवजा तथा आर एंड आर के तहत खेती से जुड़े खेत मजदूर एवं पौनी को भी लाभ देने के बाद ही, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी।मगर सारे कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर जंगलराज की तरह बिना सोशल ऑडिट, 70 प्रतिशत किसानों की बिना सहमति और बिना मुआबजा भुगतान के नवादा जिला प्रशासन ने शायद ठेकेदारो से लाभ लेकर लाठी गोली का भय दिखाकर जिस प्रकार से जबरन जमीन हड़पने का जो कुत्सित प्रयास किया है। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी घोर निंदा करती हैं। अपना खून जलाकर एवं करोड़ों रुपये खर्च कर पुरखों की दी हुई जमीन पर कठिन मेहनत से अपने बाल बच्चों और समाज का पेट भरने के लिए बड़ी उम्मीद से जिस धान का फसल तैयार किया था, जो चंद दिनों में तैयार होकर घर आने वाला था। उसे निर्माता पूर्वक कुचलकर अन्नदाताओं के आशाओं पर पानी फेर दिया। अपने आंखों के सामने बर्बाद होते अपने सपनों को देखकर फूट-फूट कर रो रहे किसानों की आंखों से बह रहे आंसुओं की धारा भी हृदयहीन जिला प्रशासन को द्रवित नहीं कर सका। जिला प्रशासन की इस घिनौनी हरकत से आम लोगों में भयानक आक्रोश है।हजारों हजार नर-नारी कई बार महा पंचायत आयोजित कर अपने गुस्से का इजहार किया। किसान महापंचायत ने फसलों को रौंदने का दोषी जिला प्रशासन से किसानों को मुआवजा देने की मांग की।मगर जिला प्रशासन के अभीतक कान पर जू नहीं रेंगा। जुल्म का हिसाब मांगने और नुकसान हुए फसलों का पर्याप्त मुआवजा के लिए कृष्ण के रूप में 26 अक्टूबर को नवादा जिला समाहर्ता के पास अन्नदाता जाएंगे। यदि दुर्योधन की तरह हमारे मांगों को ठुकराएंगे तो सिर्फ मोतनाजे-मधुबन ही नहीं, पूरे नवादा और बिहार के किसान सड़क पर उतरेंगे। किसानों की जमीन लूटकर अपने मित्रों को देने की नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ख्वाब हम कभी पुरा होने नहीं देंगे।यहाँ महाभारत होगा, कुरुक्षेत्र होगा। मगर एक इंच भी अपनी जमीन नहीं देंगे। जान देंगे, मगर जमीन नहीं देंगे।

शराब पीकर हंगामा करते बेटे को गिरफ्तार कराया

रजौली (नवादा)(आससे)। थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली और पारिवारिक लाचारी को दर्शाने वाली घटना सामने आई है,जहां शराब के नशे में धुत होकर घर में हंगामा कर रहे एक युवक को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार, पुरानी हरदिया गांव के रहने वाले स्वर्गीय शीतो मिस्त्री का पुत्र रविंद्र कुमार शर्मा कांड संख्या 569/26 का अभियुक्त को अपने घर पर शराब के अत्यधिक नशे में भारी उत्पात व हंगामा मचा रहा था। युवक के इस अनुचित रवैये और लगातार हो रहे ड्रामे से तंग आकर जब परिजनों के सब्र का बांध टूट गया, तो उन्होंने कोई अन्य रास्ता न देख तत्काल डायल 112 की आपातकालीन पुलिस टीम को फोन कर घटना की पूरी जानकारी दी और मदद की गुहार लगाई। परिजनों की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम बिना किसी देरी के मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए हंगामा कर रहे शराबी युवक रविंद्र कुमार शर्मा को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके पश्चात डायल 112 की टीम ने युवक को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए स्थानीय थाने को सुपुर्द कर दिया। थानाध्यक्ष रणजीत कुमार ने मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए युवक की नियमानुसार पूरी डॉक्टरी व अल्कोहल जांच कराई गई, जिसमें उसके शराब का सेवन करने की पुष्टि हुई।जांच रिपोर्ट आने और वैधानिक कागजी प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत पुलिस ने रविंद्र कुमार शर्मा के विरुद्ध संबंधित कानूनी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद इस प्रकार की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जहां शराबियों के उत्पात से परेशान होकर परिजनों को खुद ही कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़ित परिवार को राहत मिली है, बल्कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक सख्त संदेश भी गया है।

दो बाइकों की टक्कर में युवक की मौत, दो गंभीर

नवादा। जिले के धमौल थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवाड़ मोड़ के समीप शुक्रवार दोपहर दो बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान शेखपुरा जिले के महुली थाना क्षेत्र के अफरडीह गांव निवासी नंदकिशोर चौधरी के 20 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में इसी गांव के शैलेंद्र मिस्त्री के पुत्र मंजीत कुमार और लखींद्र मांझी के पुत्र रोहित कुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, सोनू कुमार अपने गांव में ग्रामीण चिकित्सक के रूप में लोगों का इलाज करता था। शुक्रवार दोपहर वह अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से दवा खरीदने धमौल बाजार आया था। दवा खरीदने के बाद तीनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान गांव पहुंचने से पहले रेवाड़ मोड़ के समीप उनकी बाइक की एक बुलेट बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सोनू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मंजीत कुमार और रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही धमौल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर, सोनू कुमार की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद गांव में भी शोक का माहौल है।

चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार

रजौली (नवादा) (आससे)। थाना क्षेत्र के लालू मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शुक्रवार को एक चोरी की होंडा शाइन बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रणजीत कुमार के निर्देशन में एएसआई बिरेंद्र ओझा पुलिस बल के साथ गश्त और वाहन जांच कर रहे थे, उसी दौरान घीसी हुई नंबर प्लेट वाली एक होंडा शाइन बाइक को रोका गया। वाहन की गहन जांच करने पर वह चोरी की निकली और चालक युवक कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान लेंगुरा पंचायत के तारगीर गांव निवासी स्वर्गीय लाला राम के पुत्र विक्रम कुमार के रूप में हुई है, जो सिरदला थाना क्षेत्र के अपने एक दोस्त से बाइक मांग कर अपनी पत्नी को ससुराल मुरहेना लाने जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कांड संख्या 568/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष रणजीत कुमार ने बताया कि वाहन जांच के दौरान कागजात के अभाव और नंबर प्लेट पर निबंधन संख्या घिसा हुआ मिलने के बाद बाइक के चोरी की होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया गया है।

वाहन जांच अभियान में वसूला 41 हजार 100 रुपये जुर्माना

अकबरपुर (नवादा) (संसू)। अकबरपुर प्रखंड के फतेहपुर मोड़ पर गुरुवार की देर शाम ट्रैफिक डीएसपी सह रजौली अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में करीब दो घंटे तक सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों की जांच की गई। जांच के क्रम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान विभिन्न वाहन चालकों से कुल 41 हजार 100 रुपये जुर्माना वसूला गया।

डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर पूरे बिहार में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। विधान परिषद चुनाव को देखते हुए भी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जांच के दौरान बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले कई चालक पकड़े गए, जिनका चालान काटा गया। देर शाम अचानक शुरू हुए इस अभियान से वाहन चालकों में अफरातफरी का माहौल रहा।

पुलिस टीम ने वाहनों के जरूरी कागजातों की भी जांच की। वहीं, अकबरपुर थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (आरसी) और अन्य आवश्यक कागजात साथ रखने चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने और जरूरी कागजात नहीं रखने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।पुलिस ने स्पष्ट किया कि वाहन जांच अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर सतर्कता बनाए रखना है।

टोटो चालक को चाकू मारकर घायल करने का आरोपी गिरफ्तार

नवादा। आपसी रंजिश को लेकर टोटो चालक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में नवादा पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सिंटू उर्फ वीरेंद्र सिंह, पिता स्व. राजो सिंह, निवासी सिंसवा, थाना नगर, जिला नवादा के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, आपसी रंजिश को लेकर टोटो चालक पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें वह घायल हो गया था। इस मामले में हत्या के प्रयास का कांड दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर कांड में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, नवादा
नोटिस
जमाबंदी रद्दीकरण वाद
सं.-28/2024-25
सुमित्रा देवी बनाम अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर वगैरह
आम सूचना

(1) लखन प्रसाद, पिता-स्व. पुना महतो, ग्राम-पिपरा, पो.+थाना+अंचल-गोविन्दपुर, जिला-नवादा।

एतद् द्वारा आपके सूचित किया जाता है कि सुमित्रा देवी पति-स्व. लाले ठाकुर, ग्राम-पिपरा, पो.+थाना+अंचल-गोविन्दपुर, जिला-नवादा के द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं.-28/2024-25 सुमित्रा देवी बनाम् अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर वगैरह में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद दायर किया गया है। आपके नाम निर्गत नोटिस को निबंधित डाक से सूचना भेजने की प्राप्ति रसीद प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त कराया गया है। परन्तु, आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही प्रतिउत्तर दाखिल किया। इससे स्पष्ट होता है कि आपको इस वाद में कुछ नहीं कहना है। उपर्युक्त वाद में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 27.10.2026 को 03.00 बजे अपराह्न में अगली तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः इस समाचार पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए आपको आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि का आप स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय सुनकर आदेश पारित कर दिया जायेगा।

इसे ताकिद जानें।

अपर समाहर्त्ता
नवादा

बिहार सरकार

राजकीय दंत महाविद्यालय
पैठना, रहुई, नालंदा

पुस्तक एवं जर्नल क्रय हेतु निविदा का प्रारूप

राजकीय दंत महाविद्यालय पैठना, रहुई, नालंदा के केन्द्रीय पुस्तकालय / विभिन्न विभागीय पुस्तकालय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय दंत महाविद्यालय पैठना, रहुई, नालंदा के लिये मेडिकल के अद्यतन संस्करण के पुस्तक / जर्नल की आपूर्ति हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अंदर निम्नलिखित बिंदुओं पर ब्यौरा देते हुए The Federation of Publishers and Booksellers Association of India(FPBAI) मापदंड के शर्तों को पूरा करने वाले पुस्तक /जर्नल विक्रेता से निविदा मोहरबंद लिफ़ाफ़े में स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। निविदा की प्राप्ति अंतिम तिथि को रविवार अथवा राजपत्रित अवकाश होने पर दूसरे दिन शाम 5:00 बजे तक होगी। निविदा की नियम एवं शर्तें तथा पुस्तकों एवं जर्नलों की सूची राजकीय दंत महाविद्यालय पैठना, रहुई, नालंदा के कार्यालय से पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा कॉलेज के वेबसाईट https//gdschnalanda.ac.in डाउनलोड किया जा सकता है।

1. पुस्तक एवं जर्नल हेतु निविदादाता को एक ही निविदा देनी होगी।
2. पुस्तक एवं जर्नल हेतु निविदा दो लिफाफा पद्धति के माध्यम से देय होगी। निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मोहरबंद लिफाफा में भेजना होगा। (तकनीकी लिफ़ाफ़े के ऊपर तकनीकी एवं वित्तीय लिफ़ाफ़े के ऊपर वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए।) दोनों निविदा एक बड़े लिफ़ाफ़े में मुहरबंद होगा जिस पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये पुस्तकालय के पुस्तक एवं जर्नल की आपूर्ति हेतु निविदा बड़े-बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में टंकित होना चाहिए।
3. निविदा की अंतिम तिथि के दूसरे दिन अपराह्न 12:30बजे दिन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं।
4. निविदादाता को अग्रधन राशि के रूप में रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपया मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट, जो प्राचार्य, राजकीय दंत महाविद्यालय पैठना, रहुई, नालंदा के पदनाम से देय होगा, को जमा करना होगा। अनुमोदित निविदादाता का अग्रधन राशि दर अनुमोदन के पश्चात जमानत राशि के रूप में जमा रहेगा तथा अन्य निविदादाता की अग्रधन राशि वापस कर दी जाएगी।
5. निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा। क्रय समिति को बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। किसी भी तरह के विवाद का निपटारा नालंदा स्थित न्यायालय अथवा पटना न्यायालय में होगा। दी गई शर्तों में किसी शर्त को पूर्ण न करने की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
6. Federation of Publisher's and Booksellers Associations of Indiaका सदस्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र नहीं रहने पर संबंधित निविदादाता की निविदा प्रथम दृष्टया रद्द कर दी जाएगी।
7. सफल निविदाकर्ता से इकरारनामा लिया जाएगा।
8. मेडिकल पुस्तकों एवं जर्नल का मूल्य Subscriptionदर से अधिक नहीं होना चाहिए। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई पुस्तकों एवं जर्नल का प्रकाशन दर (संबंधित कंपनी) विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. F.O.R केन्द्रीय पुस्तकालय, राजकीय दंत महाविद्यालय पैठना, रहुई, नालंदा में होगा। इसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
10. विदेशी प्रकाशन में मेडिकल पुस्तकों एवं जर्नलों का भारतीय मुद्रा में परिवर्तित दर निविदा प्रकाशन में देना होगा।

प्राचार्य,
राजकीय दंत महाविद्यालय
पैठना, रहुई, नालंदा

PR- 013960 (Health) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

बिहार सरकार

कार्यालय का नाम- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बाढ़

निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप (Eproc-2.0 के माध्यम से)

मानक निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप ₹ 25.00 लाख से 70.00 लाख तक की राशि के कार्यों के लिए (डबल बीड पद्धति)

निविदा आमंत्रण की सूचना (ई-टेडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)

NIT No- 12/2026-27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता - कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बाढ़।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि - दिनांक- 21/10/2026
3. संवेदक द्वारा निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि - दिनांक- 07/11/2026 को समय -11:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न
4. प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं समय एवं स्थान - दिनांक- 09/11/2026 को समय -11:00 से 14:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न, कार्यपालक पदाधिकारी कक्ष, नगर परिषद बाढ़।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि - दिनांक- 18/11/2026 समय- 17:00 बजे तक (www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि - दिनांक- 19/11/2026 समय- 11:00 बजे
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि - तकनीकी बीड में सफल होने के उपरांत
8. कार्य की विवरणी-

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु. में)	अग्रधन की राशि (online के माध्यम से) Website: - www.Eproc2.bihar.gov.in	परिमाण विपत्र का मूल्य (online के माध्यम से) Website : - www.Eproc2.bihar.gov.in	Bid Processing fee (Through Online Payment हेतु प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 03 में बाजितपुर कमरू मियां के घर एवं महावीर मिस्त्री खुर्शीद आलम कैलाश प्रसाद के घर से रिजवान अहमद के घर होते हुए भवानी चौक तक रोड एवं नाला निर्माण कार्य।	6853756	137100	10000	As Per Self-Generated	03 माह
2	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 03 में शर्मा सर के घर से उमेश ठाकुर एवं युसुफ मियां के घर होते हुए दिलीप रजक के घर होते हुए कलीम मियां, नसीम मियां के घर होते हुए मेन रोड इसराईल मियां के घर तक पेभर ब्लॉक एवं नाला निर्माण कार्य।	4232846	84700	5000	As Per Self-Generated	03 माह
3	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 10 में बांध रोड से निरंजन जी, रामप्रवेश जी के घर होते हुए कब्रिस्तान चाहारदिवरी तक पीसीसी पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	4502576	93800	5000	As Per Self-Generated	03 माह
4	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 10 में बांध रोड पोस्ट ऑफिस के बगल से अरूण कुमार चन्द्रवंशी, अशोक महतो ,टुनटुन जी, धनु यादव के घर होते हुए मसुद विगहा मेन रोड सोनल के घर तक पीसीसी पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	5252385	105100	10000	As Per Self-Generated	03 माह
5	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 15 में सत्यनारायण शर्मा के घर से रकेश विश्वकर्मा के घर तक एवं जयराम कुमार के घर से अजय पंडित के घर तक एवं चन्दन पंडित के घर से कारू चौधरी के घर तक एवं श्रवण पासवान के घर से अजय पंडित के घर तक पेभर ब्लॉक एवं नाला निर्माण कार्य।	4198553	84000	5000	As Per Self-Generated	03 माह
6	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 16 में पिन्टु साव से शंभ्भु ठठेरा, बब्लु जी के घर होते हुए उमानाथ रोड तक पेभर ब्लॉक एवं नाला निर्माण कार्य।	4686482	93800	5000	As Per Self-Generated	03 माह
7	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 20 में मनोज कुमार (पोनी जी) के घर से पहलवान जी के घर होते हुए भाया शिशु ज्ञान स्कुल होते हुए प्रदिप के घर तक नाला निर्माण कार्य।	3567370	71400	5000	As Per Self-Generated	03 माह
8	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 24 में ढ़ेलवागोसाई मेन रोड से दुर्गा शर्मा, सहदेव तांती, सरजु मिस्त्री, सतीश शर्मा, राजो रवीदास तक एवं संजीत शर्मा के घर से बाबुलाल मिस्त्री भाया अनिल शर्मा के घर तक पेभर ब्लॉक एवं नाला निर्माण कार्य।	4771684	95100	5000	As Per Self-Generated	03 माह
9	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 26 में कांती तांती से जीओ पार्क रोड भाया सुनिल जी से पप्पु सिंह भाया हैपी मैरेज हॉल बाजीदपुर रोड से सुनिल देवी भाया गार्डेन मैरेज हॉल दयाचक मोड मुख्य सड़क तक पेभर ब्लॉक एवं नाला निर्माण कार्य।	5647362	113000	10000	As Per Self-Generated	03 माह
10	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 25 में धर्मेन्द्र कुमार के घर से ननु मियां के बोरिंग होते हुए अमृत पासवान के घर होते हुए श्याम यादव के घर तक पेभर ब्लॉक एवं नाला निर्माण कार्य।	4801881	96100	5000	As Per Self-Generated	03 माह
11	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 05 में कुन्दन जी, अवधेश जी ,छोटे सिंह, अशोक सिंह, विभिसन जी एव नवीन सिंह के घर होते हुए विक्की के घर तक पेभर ब्लॉक एवं नाला निर्माण कार्य।	5185245	103800	10000	As Per Self-Generated	03 माह
12	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं. 1 में अलखनाथ रोड से अरूण कुमार अशोक कुमार, कौशल जी के घर होते हुए डॉ मदन मोहन के क्लिनीक एन. एच - 31 तक पीसीसी पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	6458015	129200	10000	As Per Self-Generated	03 माह
13	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 18 में अनिल जी के जमीन से अरूण मास्टर साहब के घर होते हुए दयानन्द, मो0 सलाउद्दिन, रिकु जी के घर होते हुए समुदायीक भवन तक पेभर ब्लॉक एवं नाला निर्माण कार्य।	5566682	111400	10000	As Per Self-Generated	03 माह
14	नगर परिषद बाढ़ अन्तर्गत वार्ड सं.- 18 में गैस गोदाम रोड से गांधी मिस्त्री भाया मन्टु सिंह, जयप्रकाश नारायण तक पीसीसी पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	5062047	101300	10000	As Per Self-Generated	03 माह

नोटः- Bidders Should submit Bid Processing fee through Online Payment as per Amount generated on नोटः- Bidders Should submit Bid Processing fee through Online Payment as per Amount generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in

9. निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.state.bihar.gov.in/prdbihar मे देखा जा सकता है।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् बाढ़

PR. No. 014091 (B&C) 2026-27

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें,
किसी अनजान स्त्री/पुरुष से असुरक्षित यौन संबंध से बचें।